न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक RAS

प्रकरण संख्या 61 / 2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

धीसू s/o रामा जात कीर निo देवरी

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

मांगीलाल S/o मोती जात कीर निo देवरी

— विप्रक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री राजेश वर्मा
अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 8-7-19

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विप्रक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम देवरी तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 245, 317, 318, 319, 319/1034, 320, 339, 342, 535, 687, 688/984, 689, 705, 706, 707, 708, 709, 751 एवं आ॰न॰ 341, 399 किता 2 रकबा 0.26 कुल किता 18+2 = 20 रकबा 5.71 + 0.26 = 5.97 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विप्रक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विप्रक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विप्रक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम देवरी संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा देवरी मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 18 रकबा 5.39 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी असंक सीजन मे किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1100/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(हाशिये पर: आ॰ नं॰ 320 गैरमु॰ पहाड़ी, 339 गैरमु॰ पाल होने से)

निर्णय आज दिनांक 8-7-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
आर०ए०एस०
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा))

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)